

श्रमायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वे./पांच/2015/ 36087 - 272

इन्दौर, दिनांक 29/09/2020

प्रति,

समस्त कलेक्टर, जबलपुर, कटनी, छिन्दवाड़ा, मण्डला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, उज्जैन, मंदसौर, देवास, रतलाम, शाजापुर, नीमच, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, सतना, सीधी, रीवा, शहडोल, उमरिया, अनुपपुर, डिंडौरी, सिंगरौली, भोपाल, बैतुल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्योपुर, इन्दौर, बुरहानपुर, धार, खरगौन, झाबुआ, खण्डवा, बड़वानी, अलीराजपुर, आगर मालवा, निवाडी (म.प्र.)

1. **समस्त मुख्य कार्यालयन अधिकारी, जिला पंचायत, जबलपुर, कटनी, छिन्दवाड़ा, मण्डला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, उज्जैन, मंदसौर, देवास, रतलाम, शाजापुर, नीमच, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, सतना, सीधी, रीवा, शहडोल, उमरिया, अनुपपुर, डिंडौरी, सिंगरौली, भोपाल, बैतुल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्योपुर, इन्दौर, बुरहानपुर, धार, खरगौन, झाबुआ, खण्डवा, बड़वानी, अलीराजपुर, आगर मालवा, निवाडी (म.प्र.)**
2. **उप श्रमायुक्त, भोपाल / इन्दौर**
सहायक श्रमायुक्त, जबलपुर, उज्जैन, मंदसौर, सागर, सतना, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, होशंगाबाद, सिंगरौली।
3. **श्रम पदाधिकारी, / सहा. श्रमदाधिकारी/श्रम निरीक्षक बालाघाट, कटनी, छिन्दवाड़ा, मण्डला, देवास, रतलाम, शाजापुर, छतरपुर, दमोह, सीधी, सिंगरौली, रीवा, शहडोल, बैतुल, विदिशा, मण्डीदीप(रायसेन), राजगढ़, गुना, भिण्ड, मालनपुर (भिण्ड), बुरहानपुर, धार, पीथमपुर, खरगौन, झाबुआ, होशंगाबाद, सिवनी, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, टीकमगढ़, उमरिया, अनुपपुर, डिंडौरी, सीहोर, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्योपुर, खण्डवा, बड़वानी, अलीराजपुर, हरदा।**
4. **संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा इन्दौर।**
5. **संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा इन्दौर, भोपाल।**
6. **उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा इन्दौर हायजिन लेब इन्दौर, देवास, उज्जैन, खण्डवा, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना।**
7. **सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मंदसौर।**
8. **सचिव, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, 82, हर्षवर्धन नगर, भोपाल,**
9. **कल्याण आयुक्त, म.प्र. श्रम कल्याण मण्डल, 83, मालवीय नगर, भोपाल**
10. **सचिव, म.प्र. स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण मंडल, मंदसौर**
11. **सचिव, म.प्र. शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल**
12. **लेबर व्यूरो, शिमला, (हिमाचल प्रदेश)।**

विषय:- न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत श्रमिकों के लिए 1 अक्टूबर 2020 से न्यूनतम वेतन दरें लागू करने वाबद।

उपरोक्त विषयांतर्गत, श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की नई पुनरीक्षित दरें 01.10.2020 से प्रभावशील की गई हैं। उक्त दरें पुस्तक के रूप में श्रम विभाग की बेबसाईट पर भी उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए श्रम विभाग की बेबसाईट www.labour.mp.gov.in पर लॉग ऑन करने का कष्ट करें।


 29/09/2020
 (आशुतोष अवस्थी)
 श्रमायुक्त,
 मध्यप्रदेश, इन्दौर
